हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 83, 188 प्र.सं. 99/2015

न्याय आपके द्वार 2017

18-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में जौनपुर में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली का उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। गत लोक अदालत में दिनांक 28-6-17 को प्रतिवादी के द्वारा लिखे गये बयानपत्र तथा दिनांक 5-7-12 के समझौता के अनुसार वह भूमि प्रतिवादी मुलचन्द के हिस्से में आने का कथन अंकित है। वादिनी मूली देवी का निर्वाचन दिनांक 7-7-09 को ही हो चुका है परन्तु उसके वारिस अभी तक रिकार्ड में नहीं आये हैं तथा उनकी अनुपस्थिति में मूली देवी का पोता ता-पेमी का आवेदन, जिनका भी निर्वाचन हो चुका है, ऐसी स्थिति में इस विवाद के बाद मोचलाने का कोई औचित्य नहीं है। वादिगण का वाद खारिज किया जाता है। वादिगण के वारिसान तहसील राजस्व रिकार्ड के साक्ष्य पुनः वाद दायर करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। पत्रावली डिक्रीड की जाये। प्रकरण की समाप्ति हेतु नस्ती तैयार किया जाय। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मोहल्ला में नस्ती करने के लिए अग्रसारित की जाय।

सहायक कलेक्टर
जौनपुर